अनुसूची–१४ –फारम सं0 ५६२

# आदेश–पत्रक

( देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

## न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

**आपूर्ति अपील सं0– 15 / 2015**

**विरेन्द्र राय, प्रखंड–जलालपुर**

**बनाम**

**सरकार (मार्फत अनु० पदा. सदर, सारण )**

| आदेश का क्रम–संख्या और तारीख। | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर। | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित |
|---|---|---|
| **07.01.2016** | यह अपील वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के ज्ञापांक 192 दिनांक 06.02.2015 के विरूद्ध दाखिल है।<br>उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जलालपुर के द्वारा दिनांक 09.11.2014 को पैक्स अध्यक्ष सवरी, अनुज्ञप्ति सं0– 10 / 2011 प्रखंड–जलालपुर, की दूकान की जॉच की गई। जॉच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताए पाई गई –<br>1. संचालन अवधि में दूकान बंद पाई गयी।<br>2. ग्रहकों को कैशमेमो नही दिया जाता है।<br>3. प्रति व्यक्ति निर्धारित 5 किलो खाद्यान्न के बदले 4 किलों खाद्यान्न ही ग्राहकों में वितरित किया जात है।<br>4. प्रति व्यक्ति कम खाद्यान्न देने के आलावा रकम भी निर्धारित दर से अधिक ली जाती है।<br>5. किरासन तेल तथा खाद्यान्न हर महीने ग्राहकों को नही मिल पाता है।<br>6. अन्त्योदय राशन कार्ड सं0–1532503 श्री सोनालाल साह के कार्ड में जनवरी से मार्च तक कोई प्रविष्टि नहीं है, तथा कार्ड सं0– 1532513 श्री गुगुल प्रसाद तथा 1532514 चम्पा कुवॅर के कार्ड में फरववरी 2014 का वितरण भी दिखाया गया है, जबकि फरवरी 2014 का खाद्यान्न व्ययगत हो चुका है।<br>7. अधिकांश कार्डो में नवम्बर माह तक किरासन तेल का वितरण दिखाया गया है। जबकि नवम्बर माह के किरासन तेल का अभी तक आवंटन अप्राप्त है। | |

8. ग्रहकों के द्वारा दबंगई तथा दुर्व्यवहार की शिकायत भी की गई है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपने ज्ञापांक 796 दिनांक 31.12.2015 से विक्रेता से उक्त अनियमितताओं के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया। विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे असंतोषजनक पा कर अनुज्ञापन पदाधिकारी के ज्ञापांक 192 दिनांक 06.02.2015 से विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दी गई जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनदाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निर्देश के आलोक में ससमय अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। विक्रेता के द्वारा जिस खाद्यान्न का उठाव कियां जाता है, उस दिन आपनी दूकान को कुछ घंटो के लिए बन्द रखा जाता है। प्रत्येक ग्राहक को निश्चित रूप से कैशमेंमो दिया जात है। विक्रेता के द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में अनुदानित सामग्री का कूपन के आधार पर वितरण किया जाता है। विक्रेता के द्वारा उपभोक्ताओं से अच्छा व्यावहार किया जाता है। उसके विरूद्ध लगाए गए सभी आरोप ग्रामीण राजनीति से प्रेरित है एवं सरासर गलत है। अतः अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को रद्द करते हुये अपीलार्थी के अपील आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, आपूर्ति से संबंधित मामले, सारण, छपरा के द्वारा बताया गया कि विक्रेता के द्वारा विभागीय मार्ग दर्शिका के प्रतिकूल आचरण कर के अनियमितता बरती गई है। अतः उनकी अनुज्ञप्ति को रद्द रखा जाना विधि सम्मत प्रतीत होता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अनुमंडल पदाधिकारी मढ़ौरा–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 2412 दिनांक 08.08.2012) मे कई त्रुटियां नजर आ रही है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा किए गए कारण पृच्छा में जॉच की तिथि एवं समय का उल्लेख नहीं किया गया है। इस तरह कारण पृच्छा अपने आप में अस्पष्ट एवं अपूर्ण हो जाता है। अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता को उपभोक्ताओं से प्राप्त बयान की प्रति भी उपलब्ध नही कराई गई, जो प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से अपेक्षित था। विक्रेता से प्राप्त जवाब में यदि कोई कमी पाई गई या विक्रेता के द्वारा प्रस्तुत कागजातों में कोई त्रुटि पाई गई, तो यह आवश्यक था कि अनुज्ञापन पदाधिकारी

के द्वारा विक्रेता से द्वितीय कारण पृच्छा किया जाता, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को त्रुटिपूर्ण पा कर निरस्त करते हुए, यह वाद इस निर्देश के साथ अनुमंडल पदाधिकारी सदर को **रिमांड** किया जाता है कि वे विक्रेता से पुनः चिन्हित बिन्दूओं पर स्पष्टीकरण पूछे, शिकायत करने वाले उपभोक्ताओं से संबंधित पूर्ण विवरणी उन्हें उपलब्ध कराई जाए, अपने स्तर से सुनवाई की जाए एवं आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर विधिसम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करें।

वाद निष्पादित।

**लेखापित एवं संशोधित**

15/1/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/1/16

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 175 /दिनांक 15/1/16 /

प्रतिलिपिः– अनुमंडल पदाधिकारी,सदर,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिल विधि शाखा
सारण, छपरा।

15/1/16